न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(RAS)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
89 / 2020	21.10.2020	27.04.2022

अनुवान

1. भग्गा
2. बनवारी पुत्रान सुवा
3. कल्ली बेवा सोहन पुत्र सुवा
4. राधेश्याम पुत्र सोहन पौत्र सुवा जातियान जोगी निवासीयान पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

वादीगण

बनाम

1. परसराम
2. गोरधन
3. राजेन्द्र पुत्रान बुधा पुत्र ओमकार जातियान जोगी निवासी पीपली तहसील मुण्डावर जिला अलवर
4. विधा बेवा बुधा–फौत

4/1 सावत्री पुत्री बुधा पत्नी दुलीचन्द जाति जोगी निवासी सुखमनहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

4/2 रामेश्वरी पुत्री बुधा पत्नी रामपाल जाति जोगी निवासी सुखमनहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0

5. पॉची पुत्री ओमकार जाति जोगी निवासी पीपली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
6. सुरजभान पुत्र रिछपाल जाति जोगी निवासी पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0
7. नन्दराम पुत्र धन्ना जाति अहीर निवासी पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0–फौत

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

7/1 दलीप पुत्र नन्दराम

7/2 जयप्रकाश पुत्र नन्दराम जातियान अहीर नि0 पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

7/3 ब्रहमा देवी पुत्री नन्दराम पत्नी रामसिंह जाति अहीर नि0 तिगावा तह0 कोटकासिम जिला अलवर

7/4 सुमन पुत्री नन्दराम पत्नी विकम जाति अहीर निवासी तिगावा तह0 कोटकासिम जिला अलवर

8. मोहनलाल पुत्र आसूमल
9. हेमा बाई बेवा आसूमल–फौत नाम हजफ
10. लक्ष्मीदेवी पुत्री आसूमल जातियान सिंधी निवासीयान खैरथल तह0 किशनगढ बास जिला अलवर
11. उदयसिंह
12. आलोक पुत्रान सुरजभान जातियान जाट निवासी पीपली हाल निवासी बेहरोज तह0 मुण्डावर जिला अलवर
13. रतनलाल पुत्र प्रहलाद जाति अहीर निवासी मउ तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0
14. सोनी बाई पत्नी ईश्वरदास जाति सिंधी निवासी व तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0–फौत

14/1 श्रीचन्द पुत्र ईश्वरदास

14/2 गुरूमुख पुत्र ईश्वरदास जातियान सिंधी निवासीयान मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

15. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर

असल प्रतिवादीगण

16. किशोरी पुत्र सुव्वा
17. सांभा पुत्री सोहनलाल
18. हेमली उर्फ फमली
19. सुनिता पुत्रीयान सोहनलाल
20. सन्तरा पुत्री सुवा जातियान जोगी निवासीयान पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

[illegible] प्रतिवादीगण

दावा – [illegible]हक मय दूरूस्ती

[illegible] वो हु0 ई0 दवामी

अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राज0 काश्त0 अधि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर) राज0

उपस्थितिः— श्री अशोक चौधरी प्रथम अधिवक्ता —दवादीगण

श्री अरूण पण्डित अधिवक्ता — प्रतिवादी स0 1 ल0 3 की ओर से

श्री सरजीत यादव अधिवक्ता — प्रतिवादी 7/1 व 7/2 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक :— 27.04.2022

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुयी। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी हाल ख0न0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा (0.82 है0), ख0नं0 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा(0.70 है0) व ख0न0 194 रकबा 3 बीघा 11बिस्वा (0.89 है0) व ख0न0 193 रकबा 3 बीघा(0.76 है0) जिसके साबिक ख0न0 44 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व साबिक ख0न0 45 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर के रहे है। उक्त विवादित हाल आराजी ख0न0 193/0.76 है0 व ख0न0 194 में से रकबा 3 बिस्वा, साबिक ख0नं0 44 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण की तन्हा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं पूर्व में मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं वर्तमान में मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण काबिज एवं दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिर्कोड में गैर खातेदारी का अंकन चला आ रहा है, जिसमें प्रतिवादीगण असल का कोई लेना देना नही है तथा उक्त आराजी की सनद भी प्राप्त कर रखी है, इस प्रकार से हम खातेदारी हकूक प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। विवादित साबिक आराजी ख0न0 45 जिसके हाल ख0न0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं 194 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सुवा का 5/9 हिस्सा कब्जा काश्त खातेदारी का है। जिसपर हमारे बुजुर्ग सुवा कानून लागू होने से पूर्व से एवं क[illegible] एवं दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। उसके बाद मिन वादीग[illegible] तर[illegible]वादीगण काबिज एवं दखिल है। जिसका गैर खाातेदारी का [illegible] आ रहा है तथा उक्तानुसार 5/9 भाग के कानून लागू होने से स्वतः ए[illegible] सनद प्राप्त कर लेने ये खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा उक्त 5/9 भाग से प्रतिवादीगण असल का

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

कोई लेना देना नहीं है। वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण विवादित आराजी में 5/9 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण 1 लगा 5 के बुजुर्ग ओमकार का 4/9 हिस्सा कब्जाकाश्त का रहा है तथा विवादित आराजी ख0नं0 191, 192, 194 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा संवत 2034 में जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से प्रतिवादीगण **1 लगा. 5 को 4/9 हिस्से की बजाय 5/9 हिस्सा मिन वादीगण व तर0प्रतिवादीगण के समान ही अंकन कर दिया गया जो गलत है** तथा काबिल दुरूस्ती है। मिन वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण असल के 5/9 हिस्से के अंकन को दुरूस्त कराकर 4/9 हिस्से का अंकन संवत 2034 से ताहाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 8, 9 व 10 बेईमान प्रवृति के लोग है जिन्होने प्रतिवादीगण सं0 1 लगा. 5, राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर मिन वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा जायल करने की नियत से विवादित आराजी ख0नं0 191 3 बीघा 5 बिस्वा सालिम व ख0नं0 192 रकबा 2 बिघा 16 बिस्वा में 2 बीघा 7 बिस्वा का दीगर आराजीयात कि साथ सनद पट्टा बिला हक व अधिकार के खिलाफ मौका, कब्जा जाप्ता एवं रिकॉर्ड के अपने नाम कर लिया तथा सनद के आधार पर अपने नाम खातेदारी का भी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इन्द्राज खिलाफ कानून हुये मौका कब्जा करा लिया। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार रहा है न ही था। प्रतिवादीगण आराजी उक्त के गैर वास्ता व गैर काबिज थे तथा उक्त अआराजी पर मिन वादीगण पर तर0 प्रतिवादीगण अपने 5/9 भाग पर शान्तिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज एवं दखिल होकर चले आ रहे है। उक्त आराजी का प्रतिवादीगण को सनद प्राप्त होने का कोई हक अधिकार हासिल नहीं थे तथा प्रतिवादीगण सं0 8, 9 10 ग्राम पीपली में भी नहीं रह रहे है। **सनद पट्टा मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर (नल एण्ड वाईड) है ना काबिल पाबन्दी है** जिसे मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण अपने हक 5/9 भाग तक सनद पट्टा को बातिल व बेअसर करार [illegible] अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 8 लगा. 10 विवादित आराजी ख0नं0 [illegible] बीघा 7 बिस्वा का खिलाफ कानूनी, मौका, कब्जा के अवै[illegible]र खातेदारी का गलत इन्द्राज कराकर ख0नं0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा को प्रतिवा[illegible]ण सं0 8 लगा 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

ने अपने नाम का बेजा अंकन का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगा 3 को जरिये बैयनामा बिला कब्जा, बिला प्रतिफल, खिलाफ कानून व जाप्ता के बिला जरे बदल कर दिया गया है तथा प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी में वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का 5/9 का हक हिस्सा जानते हुये खरीद किया है तथा प्रतिवादी सं0 8 लगा 10 ने ख0नं 192 मिन रकबा 2 बीघा 7 बीघा बेचान जरिये बैयनामा खिलाफ कानून व मौका बिला जरे बदल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 3 को 15/47 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 11 व 12 को 32/47 हिस्सा कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 ने ख0नं0 192 में खरीदशुदा 15/47 हिस्सा एवं खरीदशुदा ख0नं0 191 का बेचान जरिये बैयनामा बिला जरे बदल खिलाफ कानून व मौका के प्रतिवादी सं0 6 को 1/2 भाग व प्रतिवादी सं 7 को 1/2 भाग के कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 11 व 12 ने ख0नं0 192 का 32/47 हिस्से का बेचान जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं0 13 को बेचान कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 13 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 14 को जरिये बैयनामा बिला जरे बदल बेचान कर दिया तथा बिला कब्जा, बिला हक व अधिकार के पोशीदा व नुमाईसी कराये गये है जो मिन वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण के हक 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर है तथा नाकाबिल पाबन्दी है। जिसे अपने हको के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिलाने के अधिकारी है आदि–आदि का अंकन करते हुये निवेदन रहा कि वादी वादीगण निम्नप्रकार डिक्री फरमाया जावे कि डिक्री इश्तकरारहक सादिर पारित की जाकर घोषित किया जावे कि ख0नं0 193 रकबा 3 बीघा (0.76 है0) व ख0नं0 194 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा (0.89है0) में से रकबा 3 बिस्वा के वादीगण व तर0प्रतिवादीगण तन्हा खातेदार काश्तकार है एवं ख0नं0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा (0.82 है0), 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा (0.70है0) व 194 शेष रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा (0.85है0) वाके ग्राम पीपली में से 5/9 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसीकदर प्रतिवादी असल का नाम हजफ कराकर वादीगण के नाम अंकन कराने के आदेश दिये जावे तथा डिक्री इश्तकरारहक पारित की जाकर क[illegible] [illegible]वे कि सनद पट्टा ख0नं0 191 सम्पूर्ण व 192 के रकबे 2 बीघा [illegible] वादीगण व तर0प्रतिवादीगण के 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर करार दिया जावे तथा उक्तानुसार अवैध सनद पट्टा के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये बैयनामे मिन वादीगण व तर0प्रतिवादीगण के हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

5/9 भाग तक बातिल व बेअसर करार दिया जावे एवं डिक्री हुक्मइम्नाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे आराजी ख0नं0 191, 192 व 194 में से वादीगण व तर0प्रतिवादीगण के हिस्से 5/9 भाग व ख0नं0 193 में काश्तकार्य में मजाहमत पैदा नहीं करें, ना जबरन बेदख करे, ना ही आराजी को कही मुन्तकिल करे, बाज आवे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 एवं 7 के वारीसान जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आये एवं शेष असल प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तलबी अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही लाई गई एवं प्रतिवादी सं0 7 के वारीसान की ओर से बार–बार अवसर उपरान्त जवाब दावे का अवसर समाप्त किया गया तथा प्रतिवादीगण 1 लगा 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश हुआ। जिसके मुताबिक वादी के वादपत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये जवाब दावे का सारतः रहा कि आ0ख0नं0 191, 192 की आराजीयात को जरिये बैयनामा मोहनलाल पुत्र आसूमल से खरीद किया था तथा आ0ख0नं 191, 192 व 194 में समस्त हिस्से में 5/9 भाग के हकदार प्रतिवादीगण 1 लगा 5 है जो उनके बुजुर्गो ओमकार से प्राप्त हुई है। दावा मियाद बाहर पेश किया है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वादीगण के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र भग्गा पी.डब्ल्यू.–1, रामचरण पी.डब्ल्यू.–2, रामजीलाल पी.डब्ल्यू.–3 एवं बनवारी पी.डब्ल्यू.–4 पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 किता 2 प्रदर्श–1, नकल सनद पट्टा दिनांक 16.08.1976 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी 2055 किता 3 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी 2051 किता 3 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी 2047 किता 2 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी 2043 [illegible]र्श–6, नकल जमाबन्दी 2038 किता 3 प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी [illegible] नकल जमाबन्दी 2029 किता 2 प्रदर्श–9, नकल [illegible] नकल खसरा गिरदावरी संवत 2014–14 प्रदर्श–11, नकल खसरा गिरदावरी संवत [illegible]22–25 प्रदर्श–12,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

नकल जमाबन्दी 2014 किता 2 प्रदर्श–13, नकल जमाबन्दी 2016 किता 2 प्रदर्श–14 पेश किये जो शामिल पत्रावली है। ठीक इसीप्रकार प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र परसराम डी.डब्ल्यू–1 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बैयनामा दिनांक 06.06.1981 प्रदर्श–1 एवं नकल जमाबन्दी 2063–66 प्रदर्श–2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

तनकीयात निम्नानुसार कायम किये गये –

1– आया वादीगण व तर0प्रतिवादीगण ख0नं0 193 रकबा 3 बीघा व ख0नं0 194 के रकबा में से रकबा 0.03 बिस्वा वाके ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर के तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है

– जिम्मे वादीगण

2– आया वादीगण व तर0प्रतिवादीगण ख0नं0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व ख0नं0 194 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर के 5/9 भाग के खातेदार काश्तकार है।

– जिम्मे वादीगण

3– आया सनद सं0 197 ख0नं0 191 व 192 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर है।

– जिम्मे वादीगण

4– आया बैयनामे मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के 5/9 भाग हक तक बातिल व बेअसर है।

– जिम्मे वादीगण

5– आया वादीगण यव तर0प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

– जिम्मे वादीगण

6– आया वाद न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है

– जिम्मे प्रतिवादीगण

7– अनुतोष

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

वकील उभयपक्षकारान की बहन सुनी गई दौराने बहस वकील वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की मुताबिक लिखित बहस सारतः रहा कि हाल आराजी हाल ख0न0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा (0.82 है0), ख0न0 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा(0.70 है0)व ख0न0 194 रकबा 3 बीघा 11बिस्वा (0.89 है0) व ख0न0 193 रकबा 3 बीघा(0.76 है0) जिसके साबिक ख0न0 44 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व साबिक ख0न0 45 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर के रहे है। उक्त विवादित हाल आराजी ख0न0 193/0.76 है0, व ख0न0 194 में से रकबा 3 बिस्वा, साबिक ख0न0 44 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण की तन्हा कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं पूर्व में मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं वर्तमान में मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण काबिज एवं दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा राजस्व रिर्कोड में गैर खातेदारी का अंकन चला आ रहा है, जिसमें प्रतिवादीगण असल का कोई लेना देना नही है तथा उक्त आराजी की सनद भी प्राप्त कर रखी है, इस प्रकार से हम खातेदारी हकूक प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। विवादित साबिक आराजी ख0न0 45 जिसके हाल ख0न0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं 194 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सुवा का 5/9 हिस्सा कब्जा काश्त खातेदारी का है। जिसपर हमारे बुजुर्ग सुवा कानून लागू होने से पूर्व से एवं कानून लागू होने के दिन से काबिज एवं दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। उसके बाद मिन वादीगण व तर0प्रतिवादीगण काबिज एवं दखिल है। जिसका गैर खाातेदारी का अंकन संवत 2020–29 तक सही चला आ रहा है तथा उक्तानुसार 5/9 भाग के कानून लागू होने से स्वतः एवं सनद प्रापत कर लेने ये खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा उक्त 5/9 भाग से प्रतिवादीगण असल का कोई लेना देना नहीं है। वादीगण तर0 प्रतिवादीगण विवादित आराजी में 5/9 भाग के ख[illegible]धिकारी है तथा प्रतिवादीगण 1 लगा 5 के बुजुर्ग ओमकार का 4/9 हिस्सा [illegible] का रहा है तथा विवादित आराजी ख0नं0 191, 192, 194 में [illegible] में जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से प्रतिवादीगण **1 लगा. 5 को 4/[illegible] हिस्से की बजाय 5/9 हिस्सा मिन वादीगण व तर0प्रतिवादीगण के समान ही अंकन कर दिया गया जो**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

गलत है तथा काबिल दुरूस्ती है। मिन वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण असल के 5/9 हिस्से के अंकन को दुरूस्त कराकर 4/9 हिस्से का अंकन संवत 2034 से ताहाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 8, 9 व 10 बेईमान प्रवृति के लोग है जिन्होने प्रतिवादीगण सं0 1 लगा. 5, राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर मिन वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा जायल करने की नियत से विवादित आराजी ख0नं0 191 3 बीघा 5 बिस्वा सालिम व ख9नं0 192 रकबा 2 बिघा 16 बिस्वा में 2 बीघा 7 बिस्वा का दीगर आराजीयात कि साथ सनद पट्टा बिला हे व अधिकार के खिलाफ मौका, कब्जा जाप्ता एवं रिकॉर्ड के अपने नाम कर लिया तथा सनद के आधार पर अपने नाम खातेदारी का भी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इन्द्राज खिलाफ कानून हुये मौका कब्जा करा लिया। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार रहा है न ही था। प्रतिवादीगण आराजी उक्त के गैर वास्ता व गैर काबिज थे तथा उक्त अआराजी पर मिन वादीगण पर तर0 प्रतिवादीगण अपने 5/9 भाग पर शान्तिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज एवं दखिल होकर चले आ रहे है। उक्त आराजी का प्रतिवादीगण को सनद प्राप्त होने का कोई हक अधिकार हासिल नहीं थे तथा प्रतिवादीगण सं0 8, 9 10 ग्राम पीपली में भी नहीं रह रहे है। **सनद पट्टा मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर (नल एण्ड वाईड) है ना काबिल पाबन्दी है** जिसे मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण अपने हक 5/9 भाग तक सनद पट्टा को बातिल व बेअसर करार दिलाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 8 लगा. 10 विवादित आराजी ख0नं0 191 सालिम व 192 मिन 2 बीघा 7 बिस्वा का खिलाफ कानूनी, मौका, कब्जा के अवैध रूप से सनद प्राप्त कर खातेदारी का गलत इन्द्राज कराकर ख0नं0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा को प्रतिवादीगण सं0 8 लगा 10 ने अपने नाम का बेजा अंकन का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगा 3 को जरिये बैयनामा बिला कब्जा, बिला प्रतिफल, [illegible] के बिला जरे बदल कर दिया गया है तथा प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी [illegible] वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का 5/9 का हक हिस्सा जानते हुये खरीद किया है [illegible] प्रतिवादी सं0 8 लगा 10 ने ख0नं 192 मिन रकबा 2 बीघा 7 बीघा बेचान जरिये बैयनामा खिलाफ कानून व मौका बिला जरे बदल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 3 को 15/47 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

व 12 को 32/47 हिस्सा कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 ने ख0नं0 192 में खरीदशुदा 15/47 हिस्सा एवं खरीदशुदा ख0नं0 191 का बेचान जरिये बैयनामा बिला जरे बदल खिलाफ कानून व मौका के प्रतिवादी सं0 6 को 1/2 भाग व प्रतिवादी सं 7 को 1/2 भाग के कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 11 व 12 ने ख0नं0 192 का 32/47 हिस्से का बेचान जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं0 13 को बेचान कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 13 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 14 को जरिये बैयनामा बिला जरे बदल बेचान कर दिया तथा बिला कब्जा, बिला हक व अधिकार के पोशीदा व नुमाईसी कराये गये है जो मिन वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण के हक 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर है तथा नाकाबिल पाबन्दी है। जिसे अपने हको के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिलाने के अधिकारी है आदि–आदि का अंकन करते हुये अभिकथन करते हुये वादीगण व तर0प्रतिवादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2059 लगा 2062 व प्रदर्श 2 सनद पट्टा दिनांक 16.08.1976 व प्रदर्श सं0 3 जमाबन्दी संवत 2055 लगा 2058 व प्रदर्श सं0 4 जमाबन्दी संवत 2051 लगा 2054 व प्रदर्श सं 5 जमाबन्दी संवत 2047 लगा 2050 व प्रदर्श सं0 6 जमाबन्दी संवत 2043 लगा 2046 व प्रदर्श 7 जमाबन्दी संवत 2038 लगा 2041 व प्रदर्श सं0 8 जमाबन्दी संवत 2038 व प्रदर्श सं0 9 जमाबन्दी संवत 2029, जिसमें वादी का 5/9 भाग, प्रतिवादी का 4/9 भाग व प्रदर्श सं0 10 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी संवत 2014–17 व प्रदर्श 12 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2022–25, प्रदर्श 13 नकल जमाबन्दी संवत 2014, प्रदर्श 14 नकल जमाबन्दी संवत 2016 पेश किये है जिसके आधार पर वादीगण का वाद बखूबी आयद वो साबित है अभिकथन सकरते हुये प्रदर्श 1 लगा. 8 में वादीगण व तरप्रतिवादीगण का हिस्सा 5/9 सही दर्ज है जबकि प्रतिवादीगण का हिस्सा 5/9 गलत दर्ज है। प्रतिवादीगण का सही हिस्सा 4/9 दर्ज होना चाहिये था निवेदन करते हुये प्रदर्श सं0 13 व 14 वादीगण व तर0प्रतिवादीगण [illegible] 5/9 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 4/9 हिस्सा सही दर्ज है [illegible] संवत 2014–17 व 2022–25 में वादीगण का हिस्सा 5/[illegible] व प्रतिवादीगण का [illegible] 4/9 सही दर्ज है अभिकथन करते हुये निवेदन रहा कि वादी गण द्वारा दावा के [illegible]र्थन में अदालत श्रीमान के समक्ष वादीगण के साक्ष्य बयान कराये गये जिनमें पी.डब्ल्यू सं0 1 वादी भग्गा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

पी.डब्ल्यू सं0 02 रामचरण पुत्र बुद्धा, पी.डब्ल्यू सं0 03 रामजीलाल पुत्र कालूराम व पी.डब्ल्यू सं0 04 बनवारी पुत्र सुवा पेश किये उक्त गवाहन द्वारा भी वादीगण के दावा के समर्थन में बयान दिया जाना तथा प्रतिवादीगण की ओर से मात्र डी. डब्ल्यू. 1 स्वयं प्रतिवादी सं0 01 परसराम के बयान दर्ज कराये गये इसके अलावा कोई गैर पक्षकार साक्षी प्रतिवादी के बयान नहीं कराये गये जिससे भी वादीगण के वाद को बखूबी आयद साबित पाये जाने का अभिकथन करते हुये वादीयगण के वाद को डिक्री किये जाने निवेदन रहा। ठीक इसीप्रकार वकील प्रतिवादी ने वादीगण वादपत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुये अपने जवाब दावे के जिम्मनों को दौहराते हुये आ0ख0नं0 191, 192 की आराजीयात को जरिये बैयनामा मोहनलाल पुत्र आसूमल से खरीद किया था तथा आ0ख0नं 191, 192 व 194 में समस्त हिस्से में 5/9 भाग के हकदार प्रतिवादीगण 1 लगा 5 है जो उनके बुजुर्गो ओमकार से प्राप्त हुई है। दावा मियाद बाहर पेश किया है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वादीगण के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

तनकीवार विवेचन इसप्रकार रहा कि –

तनकी नं0 1 आया वादीगण व तर0प्रतिवादीगण ख0नं0 193 रकबा 3 बीघा व ख0नं0 194 के रकबा में से रकबा 0.03 बिस्वा वाके ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर के तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है। इस संबंध में हाल आराजी हाल ख0न0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा (0.82 हैक्0), ख0न0 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा(0.70 हैक्0.)व ख0न0 194 रकबा 3 बीघा 11बिस्वा (0.89 हैक्0)व ख0न0 193 रकबा 3 बीघा(0.76 हैक्0) जिसके साबिक ख0न0 44 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा व साबिक ख0न0 45 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर के रहे है। उक्त विवादित [illegible] 6 हैक्0, व ख0न0 194 में से रकबा 3 बिस्वा, साबिक ख0[illegible] बिस्वा वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण की तन्हा कब्जेकाश्त खातेदारी [illegible] व तर0 प्रतिवादीगण के पूर्वज एवं वर्तमान में वादीगण व तर0 प्रतिवादी[illegible] काबिज एवं दखिल होना राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी का अंकन चला आ रहा होना, जिसमें प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

असल का कोई लेना देना नही होना तथा उक्त आराजी की सनद भी प्राप्त कर रखी है, इस प्रकार से हम खातेदारी हकूक प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। विवादित साबिक आराजी ख0न0 45 जिसके हाल ख0न0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं 194 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सुवा का 5/9 हिस्सा कब्जा काश्त खातेदारी का है। जिसपर हमारे बुजुर्ग सुवा कानून लागू होने से पूर्व से एवं कानून लागू होने के दिन से काबिज एवं दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। उसके बाद मिन वादीगण व तर0प्रतिवादीगण काबिज एवं दखिल होना जिसका गैर खातेदारी का अंकन संवत 2020–29 तक सही चला आ रहा होना तथा उक्तानुसार 5/9 भाग के कानून लागू होने से स्वतः एवं सनद प्राप्त कर लेने ये खातेदार काश्तकार होना तथा उक्त 5/9 भाग से प्रतिवादीगण असल का कोई लेना देना नहीं होना वादीगण तर0 प्रतिवादीगण विवादित आराजी में 5/9 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने अधिकारी होना तथा प्रतिवादीगण 1 लगा 5 के बुजुर्ग ओमकार का 4/9 हिस्सा कब्जाकाश्त का होना तथा विवादित आराजी ख0नं0 191, 192, 194 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा संवत 2034 में जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से प्रतिवादीगण **1 लगा. 5 को 4/9 हिस्से की बजाय 5/9 हिस्सा वादीगण व तर0प्रतिवादीगण के समान ही अंकन कर दिया गया जो गलत है** तथा काबिल दुरूस्ती पाया जाना वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण असल के 5/9 हिस्से के अंकन को दुरूस्त कराकर 4/9 हिस्से का अंकन संवत 2034 से ताहाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कराने के अधिकारी होना प्रतिवादी सं0 8, 9 व 10 बेईमान प्रवृति के लोग है जिन्होने प्रतिवादीगण सं0 1 लगा. 5, राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर मिन वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा जायल करने की नियत से विवादित आराजी ख0नं0 191 3 बीघा 5 बिस्वा सालिम व ख9नं0 192 रकबा 2 बिघा 16 बिस्वा में 2 बीघा 7 बिस्वा का दीगर [illegible] कि साथ सनद पट्टा बिला हक व अधिकार के खिलाफ मौका, कब्जा जाप्ता एवं रिकॉर्ड के अप[illegible]पाया जाना तथा सनद के आधार पर अपने नाम खातेदारी का [illegible] खिलाफ कानून हुये मौका कब्जा करा लिया। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार रहा है न ही था। प्रतिवादीगण आराजी उक्त के गैर वास्ता व गैर काबिज थें

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

तथा उक्त अआराजी पर वादीगण पर तर0 प्रतिवादीगण अपने 5/9 भाग पर शान्तिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज एवं दखिल होकर चले आ रहे है। उक्त आराजी का प्रतिवादीगण को सनद प्राप्त होने का कोई हक अधिकार हासिल नहीं होना तथा प्रतिवादीगण सं0 8, 9 10 ग्राम पीपली में भी नहीं रह रहे है। **सनद पट्टा वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर (नल एण्ड वाईड) है ना काबिल पाबन्दी है** जिसे मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण अपने हक 5/9 भाग तक सनद पट्टा को बातिल व बेअसर करार दिलाये जाने के बाबत के अभिकथन एवं प्रतिवादी सं0 8 लगा. 10 विवादित आराजी ख0नं0 191 सालिम व 192 मिन 2 बीघा 7 बिस्वा का खिलाफ कानूनी, मौका, कब्जा के अवैध रूप से सनद प्राप्त कर खातेदारी का गलत इन्द्राज कराकर ख0नं0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा को प्रतिवादीगण सं0 8 लगा 10 ने अपने नाम का बेजा अंकन का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगा 3 को जरिये बैयनामा बिला कब्जा, बिला प्रतिफल, खिलाफ कानून व जाप्ता के बिला जरे बदल कर दिया जाना तथा प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी में वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का 5/9 का हक हिस्सा जानते हुये खरीद किया जाना तथा प्रतिवादी सं0 8 लगा 10 ने ख0नं 192 मिन रकबा 2 बीघा 7 बीघा बेचान जरिये बैयनामा खिलाफ कानून व मौका बिला जरे बदल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 3 को 15/47 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 11 व 12 को 32/47 हिस्सा कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 ने ख0नं0 192 में खरीदशुदा 15/47 हिस्सा एवं खरीदशुदा ख0नं0 191 का बेचान जरिये बैयनामा बिला जरे बदल खिलाफ कानून व मौका के प्रतिवादी सं0 6 को 1/2 भाग व प्रतिवादी सं 7 को 1/2 भाग के कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 11 व 12 ने ख0नं0 192 का 32/47 हिस्से का बेचान जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं0 13 को बेचान कर दिया जाना तथा प्रतिवादी सं0 13 ने भी अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 14 को जरिये बैयनामा बिला जरे बदल बेचान कर दिया जाना वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण के हक 5/9 भाग तक बातिल व [illegible] वादीगण व तर0प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में [illegible] संवत 2059 लगा 2062 व प्रदर्श 2 सनद पट्टा दिनांक 16.08.1976 व प्रदर्श [illegible] जमाबन्दी संवत 2055 लगा 2058 व प्रदर्श सं0 4 जमाबन्दी संवत 2051 लगा 2054 व प्रद[illegible] 5 जमाबन्दी संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

तथा उक्त अआराजी पर वादीगण पर तर0 प्रतिवादीगण अपने 5/9 भाग पर शान्तिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज एवं दखिल होकर चले आ रहे है। उक्त आराजी का प्रतिवादीगण को सनद प्राप्त होने का कोई हक अधिकार हासिल नहीं होना तथा प्रतिवादीगण सं0 8, 9 10 ग्राम पीपली में भी नहीं रह रहे है। **सनद पट्टा वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के हक 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर (नल एण्ड वाईड) है ना काबिल पाबन्दी है** जिसे मिन वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण अपने हक 5/9 भाग तक सनद पट्टा को बातिल व बेअसर करार दिलाये जाने के बाबत के अभिकथन एवं प्रतिवादी सं0 8 लगा. 10 विवादित आराजी ख0नं0 191 सालिम व 192 मिन 2 बीघा 7 बिस्वा का खिलाफ कानूनी, मौका, कब्जा के अवैध रूप से सनद प्राप्त कर खातेदारी का गलत इन्द्राज कराकर ख0नं0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा को प्रतिवादीगण सं0 8 लगा 10 ने अपने नाम का बेजा अंकन का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगा 3 को जरिये बैयनामा बिला कब्जा, बिला प्रतिफल, खिलाफ कानून व जाप्ता के बिला जरे बदल कर दिया जाना तथा प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी में वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का 5/9 का हक हिस्सा जानते हुये खरीद किया जाना तथा प्रतिवादी सं0 8 लगा 10 ने ख0नं 192 मिन रकबा 2 बीघा 7 बीघा बेचान जरिये बैयनामा खिलाफ कानून व मौका बिला जरे बदल प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 3 को 15/47 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 11 व 12 को 32/47 हिस्सा कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा 3 ने ख0नं0 192 में खरीदशुदा 15/47 हिस्सा एवं खरीदशुदा ख0नं0 191 का बेचान जरिये बैयनामा बिला जरे बदल खिलाफ कानून व मौका के प्रतिवादी सं0 6 को 1/2 भाग व प्रतिवादी सं 7 को 1/2 भाग के कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 11 व 12 ने ख0नं0 192 का 32/47 हिस्से का बेचान जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं0 13 को बेचान कर दिया जाना तथा प्रतिवादी सं0 13 ने भी अपना हिस्सा प्रतिवादी सं0 14 को जरिये बैयनामा बिला जरे बदल बेचान कर दिया जाना वादीगण एवं तर0प्रतिवादीगण के हक 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर पा[illegible] वादीगण व तर0प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावा के समर्थन में द[illegible] संवत 2055 लगा 2062 व प्रदर्श 2 सनद पट्टा दिनांक 16.08.1976 व प्रदर्श सं0 3 [illegible] संवत 2055 लगा 2058 व प्रदर्श सं0 4 जमाबन्दी संवत 2051 लगा 2054 व प्रदर्श स[illegible] जमाबन्दी संवत

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

2047 लगा 2050 व प्रदर्श सं0 6 जमाबन्दी संवत 2043 लगा 2046 व प्रदर्श 7 जमाबन्दी संवत 2038 लगा 2041 व प्रदर्श सं0 8 जमाबन्दी संवत 2038 व प्रदर्श सं0 9 जमाबन्दी संवत 2029, जिसमें वादी का 5/9 भाग, प्रतिवादी का 4/9 भाग व प्रदर्श सं0 10 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी संवत 2014–17 व प्रदर्श 12 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2022–25, प्रदर्श 13 नकल जमाबन्दी संवत 2014, प्रदर्श 14 नकल जमाबन्दी संवत 2016 पेश किये है जिसके आधार पर वादीगण का वाद बखूबी आयद वो साबित है अभिकथन सकरते हुये प्रदर्श 1 लगा. 8 में वादीगण व तरप्रतिवादीगण का हिस्सा 5/9 सही दर्ज होना जबकि प्रतिवादीगण का हिस्सा 5/9 गलत दर्ज होना प्रतिवादीगण का सही हिस्सा 4/9 दर्ज होना एवं प्रदर्श सं0 13 व 14 वादीगण व तर0प्रतिवादीगण का हिस्सा 5/9 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 4/9 हिस्सा सही दर्ज होना ठीक इसीप्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2014–17 व 2022–25 में वादीगण का हिस्सा 5/9 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 4/9 सही दर्ज होना व वादी गण द्वारा दावा के समर्थन में अदालत श्रीमान के समक्ष वादीगण के साक्ष्य बयान कराये जाना जिनमें पीडब्ल्यू सं0 1 वादी भग्गा, पी.डब्ल्यू सं0 02 रामचरण पुत्र बुद्धा, पी.डब्ल्यू सं0 03 रामजीलाल पुत्र कालूराम व पी.डब्ल्यू सं0 04 बनवारी पुत्र सुवा पेश किये उक्त गवाहन द्वारा भी वादीगण के दावा के समर्थन में बयान दिया जाना तथा प्रतिवादीगण की ओर से मात्र डी. डब्ल्यू 1 स्वयं प्रतिवादी सं0 01 परसराम के बयान दर्ज कराया जाना इसके अलावा कोई गैर पक्षकार साक्षी प्रतिवादी के बयान नहीं कराये जाने की स्थिति में भी वादीगण का वाद बखूबी साबित पाये जाने की स्थिति यह न्यायालय इस तनकी को बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुये बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 2 आया वादीगण व तर0प्रतिवादीगण ख0नं0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा व ख0नं0 194 रकबा 3 बीघा [illegible] ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर के 5/9 भाग के खातेदार [illegible] है। [illegible] को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है। चूँकि तनकी संख्या 1 के माध्यम [illegible] वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०

अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेज के माध्यम से साबित कर दिये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीगण स्पष्ट रूप से स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 3 आया सनद सं0 197 ख0नं0 191 व 192 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण के 5/9 भाग तक बातिल व बेअसर है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है। जब तनकी संख्या 1 व 2 को स्पष्ट रूप से बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में उक्त तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 4 आया बैयनामे मिन वादी व तर0 प्रतिवादीगण के 5/9 भाग हक तक बातिल व बेअसर है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है। जब तनकी संख्या 1 लगा. 3 को स्पष्ट रूप से बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में उक्त तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 5 आया वादीगण यव तर0प्रतिवादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है। जब तनकी संख्या 1 लगा. 4 को बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में उक्त तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाते हुये बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

तनकी नं0 6 आया वाद न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादीगण रहा है तथा तनकी संख्या 1 लगा. 5 बरखिलाफ प्रतिवादीगण पायी जाकर बहक वादीगण स्पष्ट रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में उक्त तनकी को यह न्यायालय बहक वादीगण पाते हुये बरखिलाफ प्रतिवादीगण पाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०

–:आदेश:–

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वादीगण के हाल आराजी ख0न0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा (0.82 है0), ख0न0 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा(0.70 है0,)व ख0न0 194 रकबा 3 बीघा 11बिस्वा (0.89 है0)व ख0न0 193 रकबा 3 बीघा(0.76 है0) वाके ग्राम पींपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा ख0नं0 193 रकबा 3 बीघा (0.76 है0) ख0नं0 194 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा (0.89 है0) में से रकबा 3 बिस्वा (0.04है0) का वादीगण व तर0प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0नं0 191 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा (0.82 है0), 192 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा (0.70है0) एवं ख0नं0 194 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा में से शेष रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा (0.85 है0) वाके ग्राम पीपली तह0 मुण्डावर जिला अलवर के 5/9 भाग का वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण को हिस्से अनुसार 4/9 का खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा वादीगण के उक्तानुसार हिस्सा 5/9 भाग की हद तक खसरा नं0 191 व 192 के बाबत जारी सनद पट्टे को बातिल व बेअसर (शून्य) करार दिया जाता है तथा उक्तानुसार प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण व तर0प्रतिवादीगण को उक्तानुसार आराजीयात में उनके काश्तकार्य में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा ना करें, ना ही आराजीयात को कहीं मुन्तकिल ही करें, पाबन्द रहें। उक्तुनसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, खुले न्यायालय सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.26 15:44:58 IST
Reason: SelfAttested

27-04-2022

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
जिला अलवर, राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0